


2023/15



### प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

विषय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम गजवाना पटवार मण्डल गजवाना भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गजवाना तहसील अजमेर की जमाबंदी सन्त 2074-75 के अंक सं 507 में सुनी मोरत जाति अहिर सा 38

के खाता सं 548 में संतोष पुनी मोरत जाति अंकन है। जब कि जमाबंदी सन्त 2065-84 में अहिर सा 38

अंकन दर्ज था। उक्त अंकन वर्तमान जमाबंदी में बिना किसी आधार के गलत अंकन हो गया। अतः जमाबंदी से पूर्व जमाबंदी सं 2065-84 के अनुसार दुरुस्ती करने की कृपा कराये।

दिनांक: \_\_\_\_\_ प्राथी: संतोष  
सलग्न: \_\_\_\_\_ पता: \_\_\_\_\_

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) अजमेर  
क्रमांक/भू.अ./2023/45 दिनांक 28/4/23

मो न

जांच रिपोर्ट हल्का पटवारी/भू अभिलेख निरीक्षक/तहसीलदार

उपरोक्त प्रार्थना पत्र की जांच की गई कि संतोष पुनी मोरत जाति अहिर का वर्तमान जमाबंदी सन्त 2074-75 में संतोष पुनी मोरत जाति अहिर के नाम पर अहिर सा 38 अंकन दर्ज है जो गलत है। अतः उक्त अंकन के स्थान पर नवीन अंकन संतोष पुनी मोरत जाति अहिर सा 38 दुरुस्त करने की अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर पटवारी

हस्ताक्षर भू अभिलेख निरीक्षक

तहसीलदार अजमेर

### न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर

क्रमांक: उखअ/राजस्व/शिविर/21/

दिनांक:

29/4/23 -- आदेश :-

रिपोर्ट व अनुशंसा पटवारी हल्का गजवाना भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गजवाना व तहसीलदार अजमेर के आधार पर ग्राम गजवाना पटवार मण्डल गजवाना भू अभिलेख क्षेत्र गजवाना तहसील अजमेर की जमाबंदी के खाता सं 507 खासरा नम्बर सन्त पर नवीन अंकन राजस्वधान भू कार्तकारी अधिनियम 1958 की धारा 88 के अन्तर्गत दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार अजमेर को निर्दिष्ट किया जाता है कि आदेश की पालना करने से पूर्व रिकार्ड का मिलान/जांच एव मा न्यायालय में वाद विचारणीय एव स्थगन आदेश की पूर्ण जानकारी करने के पश्चात् ही रिकार्ड में अंकन दस्तावेज कराये।

May reject this application

उपखण्ड अधिकारी, अजमेर  
29/4/2023  
उपखण्ड अधिकारी एवं शिविर प्रहारी  
नं. 10/2023